न्यायालय सहायक कलक्टर, बाप जिला जोधपुर

बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादीगण
...श्याम पुत्र गोविन्दराम
...नी पत्नी गोविन्दराम
...ति नाई निवासीगण बाप,
...हसील बाप, जिला जोधपुर (राज.)

बनाम

प्रतिवादी
1. तहसीलदार बाप

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

...स्व मूल वाद संख्या :– 51/2019
...स्थित :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादीगण की तरफ से
2. श्री तहसीलदार बाप प्रतिवादी स्वयं उपस्थित

दिनांकः– 26.12.2019

निर्णय

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है वादीगण के नाम से ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील ...प में खेत खसरा नम्बर 639/4 रकबा 1.01 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादी संख्या 1 के ...ता एवं वादी संख्या 2 के पति गोविन्दराम पुत्र गोरधनराम के नाम आवंटन हुई थी और उक्त ...वंटन के आधार पर वादी संख्या 1 के पिता एंव 2 के पति गोविन्दराम के नाम नामांतरकरण संख्या ...61 मौजा बाप भरा जाकर स्वीकृत किया गया । उक्त नामांतरकरण भरते समय पटवारी हल्का से ...रासर गलत तरीके से नामांतरकरण के कॉलम संख्या 9 में उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में ...गोविन्दराम को गैरखातेदार दर्ज कर दिया। गोविन्दराम का अपने जीवन काल तक उक्त भूमि पर ...कब्जा काश्त रहा और उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादीगण के नाम से गोविन्दराम का फौतेदगी नामांतरकरण सख्या 1078 मौजा बाप भरा जाकर स्वीकृत किया गया। पूर्व में बाप तहसील के कुछ गांव उपनिवेशन विभाग के अधीन थे और उक्त वाद में वर्णित विवादग्रस्त भूमि भी उपनिवेशन क्षेत्र में स्थित थी लेकिन ग्राम बाप में सिचाई वगैरा नहरों से नहीं होती है और न ही नहर बनी हुई है। वर्तमान में उपनिवेशन विभाग भी हटा दिया गया है बाप तहसील के उपनिवेशन उपतहसील के गावों के पुनः राजस्व तहसील में सम्मलित कर लिया है और वर्तमान में ग्राम बाप का सम्पूर्ण कार्य राजस्व तहसील में किया जाता है। इसलिये वादीगण ग्राम बाप के खसरा नम्बर 639/4 रकबा 1.01 बीघा भूमि में गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी तहसीलदार बाप की तरफ से वाद का जवाबदावा पेश कर यह कथन किया कि आवंटी गोविन्दराम को खसरा नम्बर 639/4 रकबा 1.01 बीघा भूमि आंवटन की गई। वर्तमान में उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। बाप तहसील क्षेत्र का पटवार मण्डल बाप अभी भी उपनिवेशन क्षेत्र के रूप में दर्ज है। वादी के वाद का प्रतिवादी की तरफ से प्रतिरोध नहीं किया गया जिस पर वाद में तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं है।

वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि भूमि को गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी ने स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि वादी माफिक राजस्व रेकर्ड उक्त भूमि पर तार काबिज चला आ रहा है इसलिये गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का निवेदन किया।

वकुलाय पक्षकारान की बहस सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् नामांतरकरण संख्या एव 1078 मौजा बाप एवं जमाबंदी, पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पर चिन्तन करने एवं दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर कि वादीगण के पूर्वज गोविन्दराम को उक्त भूमि नियमानुसार आंवटन की गई है और आवंटन ामांतरकरण सख्या 961 मौजा बाप में गोवन्दिराम पुत्र गोरधनराम को गैर खातेदार दर्ज कर दिया । प्रतिवादी की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पर वादीगण बहैसियत रेकर्डेड खातेदार शान्तिपूर्वक ज चला आ रहा है तथा उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त भी आज दिन तक लगातार वादीगण का आ रहा है अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप के खसरा नंबर 639/4 1.01 बीघा भूमि में वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ीलदार बाप वादीगण के नाम बकाया राजस्व मांग (यदि हो तो) जमा करवाकर खातेदारी कारों का नामान्तरकरण खोल कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें। पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.19 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सहायक कलक्टर
बाप (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 2019.12.30 22:23:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: